भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Faridabad Branch Office

Address: SCO 21, Sector 12
Faridabad-121007

Phones : 0129-2292175, 2292179
Fax: 0129-2291860
E-Mail: fdo@bis.org.in
web : http://www.bis.org.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 23 अगस्त 2017

भारतीय मानक ब्यूरो का बोतल बन्द पेयजल पर नकली आई एस आई मुहर लगाकर बेचने वाली फर्म मै0 तुलसी आइस फैक्टरी पर छापा

भारतीय मानक ब्यूरो के फरीदाबाद शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने सूचना मिलने पर भारतीय मानक ब्यूरो, फरीदाबाद शाखा के प्रमुख श्री एस0 के0 वर्मा के आदेशानुसार सिटी पुलिस स्टेशन, फरीदाबाद, हरियाणा पुलिस के सहयोग से आई0 एस0 आई0 मुहर के दुरूपयोग के खिलाफ दिनांक 23 अगस्त 2017, बुधवार को बोतल बन्द पेयजल बनाने वाली फर्म मै0 तुलसी आइस फैक्टरी, आर्य नगर, बल्लबगढ़, फरीदाबाद के परिसर पर छापा मारा । फर्म 20 लीटर पैट जार पर आई एस आई मार्क का दुरूपयोग करती पाई गई । फर्म के मालिक का नाम श्री सुरेश है । भारतीय मानक ब्यूरो की टीम का नेतृत्व श्री ए0 के0 पोपली, वैज्ञानिक सी ने किया । टीम के अन्य सदस्य श्री अमरजीत सिंह, वैज्ञानिक सी और श्री तपन कुमार हलदार, वैज्ञानिक बी और सिटी पुलिस स्टेशन, जिला फरीदाबाद हरियाणा पुलिस के अधिकारी शामिल थे ।

छापा मारने के समय कई संख्या में 20 लीटर पैट जार आई एस आई मुहर और लाइसेंस सं0 9991922 लगे लेबल ब्राण्ड "हैवन फ्रैश" पाए गए । यह फर्म बोतल बन्द पेयजल को तैयार कर आई एस आई मुहर लगाकर दुरूपयोग कर रही थी जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के बिना अवैध है । बन्द पेयजल भारतीय मानक 14543:2016 एफ.एस.एस.ए.आई अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आई0 एस0 आई0 का मुहरांकन अनिवार्य है । इस फर्म व इसके मालिक के विरूद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । इस तरह के अपराध की सज़ा बी आई एस अधिनियम, 1986 के अर्न्तगत अधिकतम एक वर्ष तक का कारावास अथवा अधिकतम 50,000/- रूपये जुर्माना या दोनों है। छापा टीम ने फर्म द्वारा भरीं गई आई0 एस0 आई0 मुहर लगी 20 लीटर पैट जार और भारी मात्रा में पाये गये आई0 एस0 आई0 मार्क और ब्राण्ड "हैवन फ्रैश" प्रिंट किये गये स्टीकर, लेबल रोल को अपने कब्जे में ले लिया ।

भारतीय मानक ब्यूरो के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि इस तरह से बिना लाइसेंस के आई0 एस0 आई0 मार्क लगा कर जो भी कोई उत्पाद बना या बेच रहा है, उस पर भी जल्दी ही उचित कार्यवाही की जाएगी । भारतीय मानक ब्यूरो के प्रवक्ता ने यह भी सूचित किया कि निर्माताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों पर आई एस आई मुहर का गलत उपयोग करने, बेचने और उत्पादों के इकटठा करने वालों पर छापा मारा जाएगा और फरीदाबाद शाखा के अर्न्तगत छापे मारने की योजना है । अधिकारी ने आम जनता से आई एस आई मुहर के किसी भी दुरूपयोग की सूचना (जो उनके नोटिस में आती है) निम्नलिखित पते पर देने की अपील की ।

श्री ए0 के0 पोपली,
वैज्ञानिक सी एवं पी0 जी0 ओ0,
भारतीय मानक ब्यूरो, एस0 सी ओ0 21, सैक्टर 12,
फरीदाबाद – 121007
दूरभाष: 0129-2292173, 0129-2292175

(एस0 के0 वर्मा)
वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख

O/C

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Faridabad Branch Office

Address: SCO 21, Sector 12
Faridabad-121007

Phones : 0129-2292175, 2292179
Fax: 0129-2291860
E-Mail: fdo@bis.org.in
web : http://www.bis.org.in

PRESS RELEASE

24 August 2017

BIS Raids M/s Tulsi Ice Factory, Ballabgarh manufacturing and packing Packaged drinking water without BIS licence

Based on the information received about misuse of BIS Standard Mark, officers of Bureau of Indian Standards (BIS), Faridabad Branch Office conducted a raid with the help of City police station, Faridabad on the premises of firm, M/s Tulsi Ice Factory, Arya Nagar, Ballabgarh, Faridabad on Wednesday, 23 August 2017 as directed by Head of the Branch Office, BIS, Faridabad Shri S.K. Verma. Firm was found misusing ISI mark on 20 ltr. PET jars of Packaged drinking water . The name of the owner of the firm is Shri Suresh. The above raid was conducted by a team consisting of Shri A.K. Popli, Scientist C and team leader, Shri Amarjit Singh, Scientist C and Shri Tapan Kumar Haldar, Scientist B alongwith the officers of Haryana police, City police station, Distt. Faridabad, Haryana.

During the raid, numerous 20 ltrs. PET jars filled with packaged drinking water marked with ISI mark, Licence No.9991922 and brand name “Heaven fresh” were available and the firm was found having large number of stickers and labels bearing ISI mark. It was observed that the firm was manufacturing the Packaged drinking water and marking with ISI mark without obtaining the BIS licence which is illegal. The packaged drinking water (IS 14543:2016) is mandatory under FSSAI Regulations, 2011 and no person can manufacture, sell and display Packaged drinking water without valid BIS licence. The action is being initiated against the owner of the firm under BIS Act, 1986. The penalty for this type of offence is maximum one year imprisonment or maximum Rs. 50,000/- or both. The ISI marked Packaged drinking water jars and printed sticker label roll used for labeling the bottles with ISI mark, licence No. and brand “Heaven fresh” have been seized.

It is informed by the BIS spokesperson that the action shall be taken against the manufacturers who are using ISI mark on Packaged drinking water without valid BIS licence. Other manufacturers who are selling and storing the products with duplicate ISI mark without valid BIS licence shall also be raided and there is a plan of such raids in the jurisdiction of Faridabad Branch Office of BIS. It is appealed to the general public to give information regarding any misuse of ISI mark noticed at the following address:

Shri A.K. Popli,
Scientist C & P.G.O.,
Bureau of Indian Standards,
SCO 21, Sector 12,
Faridabad – 121007
Phone: 0129-2292173, 0129-2292175

24/8/17
(S.K. Verma)
Scientist E & Head

O/C
24/08/2017

005.jpg